FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान संतरा देवी बनाम झूमा देवी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र टी० आई० मुकदमा नं० 97 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
31/10/17	वकील प्रार्थिया श्री बनवारी लाल जोरड़ ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना-पत्र टी० आई० पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। स्थगन पर बहस वकील प्रार्थिया एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थीया पर मगोर मनन किया जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थिया के पक्ष में पाया जाने पर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अत: अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 320, 345 रकबा 3.13 है० एवं ख० नं० 288 से 290, 323, 333 ता 336 रकबा 8.21 है० तन ग्राम अगलोई का बिना विधिवत विभाजन कराये बेचान, हस्तांतरण नही करें। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। यह आदेश शान्ति संबंधी प्रकरणो में प्रभावी नही होगा। प्रार्थी O:39, R.3 CPC की पालना करे। उक्त आदेश उल्लेखित करते हुए सम्मन जारी अप्रार्थीगण को होकर पत्रावली दिनांक 30-11-2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	5001-5004 31.10.2017
30/11/17	अप्रार्थी पक्ष हेतु पत्रावली/तामील अधिकारी द्वारे /अन्य कार्य से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27.03.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
संतरा देवी बनाम झुमा देवी वगै०
मुकदमा नं० - 97/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
27/03/18	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप./[illegible] अधिकारी [illegible] /अन्य [illegible] पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.04.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/04/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील पत्र टी० आई० से संबंधित मूल वाद पूर्व आज निर्णीत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा० पत्र टी० आई० में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत: कार्यवाही प्रकरण इस स्तर पर Drop की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से [illegible] हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner